Ex.P.-447

D-425

छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

"हितवाद परिसर" अवंति विहार तेलीबांधा, मुख्यालय रायपुर

क्रमांक / नमक / 2015–16 / 98 रायपुर, दिनांक :– 01/06/2015

"आदेश"

प्रकरण के संक्षेप में विवरण है कि मेसर्स रमेश साल्ट ट्रेडर्स, हलवद, गुजरात द्वारा वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के लिए निगम को रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर संभाग के लिए नमक आपूर्ति हेतु अनुबंध दिनांक 07.01.2015. को किया गया। दिनांक 9 जनवरी 2015 से इनके द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया।

समय–समय पर दिये गये आपूर्ति आदेश के विरूद्ध 9243.817 मे0टन नमक की आपूर्ति की गई। विवरण निम्नानुसार है –

रेक पाइंट	दिनांक	मात्रा (मे0टन)
रायपुर	02.02.2015	2454.621
रायपुर	04.03.2015	1540.179
दुर्ग	09.02.2015	2622.722
राजनांदगांव	09.02.2015	2626.295
TOTAL :		9243.817

(2) यह कि निविदा की परिशिष्ट–03 की कंडिका–11 के अनुसार निगम को विधिक अधिकार प्राप्त है कि सप्लाई किये गये रेक पाइंट/गोदामों पर नमक की क्वालिटी की जांच कराई जा सकती है।

(3) इनके द्वारा सप्लाई किये गये अमृत नमक को रायपुर, दुर्ग एवं राजनांदगांव रेक पाइंट पर/निगम के गोदामों से सेम्पल पैकेट परीक्षण कराया गया जिसमें आयोडीन की मात्रा निविदा दस्तावेज की शर्तों के अनुसार नहीं रही।

(4) इनके द्वारा प्रदाय नमक का स्वास्थ्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, आईडीडी लैब रायपुर में परीक्षण कराने पर नमक में आयोडीन की मात्रा निविदा की परिशिष्ट–03 की कंडिका–16 अनुसार नहीं पाई गई। इनके द्वारा सप्लाई किये गये नमक में आयोडीन की मात्रा कम पाये जाने के साथ–साथ रायपुर, दुर्ग एवं जगदलपुर में एक ही बोरों में अनेक निर्माताओं के नमक पैकेट प्राप्त हुए, साथ ही रायपुर में सप्लाई किये गये नमक पैकेट में पालीथीन भी निर्धारित 50 माइक्रान का नहीं पाया गया। लैब विश्लेषण रिपोर्ट की प्रतियां इन्हें उपलब्ध करायी गयी।

(5) इनके द्वारा प्रदाय किये गये नमक अमानक पाये जाने के कारण इस निगम से निम्नानुसार कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया एवं इन्हें उत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। कारण बताओ सूचना पत्र का इनके द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया गया जिसमें लेख किया गया कि साल्ट कमिश्नर, भारत सरकार से सप्लाई के दौरान नमक सही होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया इसलिए नमक का भुगतान प्राप्त करने की ये पात्रता रखते हैं इसलिए नमक सप्लाई के लंबित देयक भुगतान की जाए एवं व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाए।

..........02..........

जारी कारण बताओ नोटिस एवं प्रत्युत्तर का विवरण इस प्रकार है –

क्र.	जारी नोटिस क्र./दिनांक	नोटिस का विषय	उत्तर प्राप्त दिनांक एवं विवरण	उत्तर विवरण एवं समीक्षा
01	नमक/2015 /1107 दिनांक 03.03. 2015	माह जनवरी/फरवरी 2015 में दुर्ग रेकपाइंट पर प्रदाय अमृतनमक में प्राप्त विसंगतियों के संबंध में।	दिनांक 05.03. 2015	मेसर्स रमेश साल्ट की जगह मेसर्स जागनाथ इंडस्ट्रीज का पैकेट त्रुटिवश रेक लोडिंग हो गया। जनवरी से पूर्व पैकिंग के संबंध में लेख किया गया है इसलिए पुरानी तिथि का पैकेट मिला लेकिन नमक ताजा 01 वर्ष के अंतर्गत का है। मेसर्स रमेशसाल्ट एवं मेसर्स बैजनार्थ साल्ट दोनों सिस्टर कन्सर्न है इसलिए दोनों के पैकिंग एक ही स्थल पर होती है। मैं सेग्रीगेशन के लिए तैयार हूं। व्यक्तिगत सुनवाई चाहता हूं।
02	साविप्र/2014 –15/04 दिनांक 13.03. 2015	माह जनवरी/फरवरी 2015 में दुर्ग रेक पाइंट पर प्रदाय अमृत नमक में प्राप्त विसंगतियों के संबंध में।	दिनांक 19.03.2015	
03	नमक/2015 /15 दिनांक 19.03.2015	रायपुर रेक पाइंट पर प्राप्त रेक में विसंगतियों के संबंध में।	दिनांक 19.03.2015	कारण बताओ सूचना पत्र वर्ष 2015–16 के नमक सप्लाई पर दिया गया है परन्तु निर्माता द्वारा उत्तर वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के कंडिकाओं के आधार पर दिया गया है जो कि सुसंगत नहीं है। साथ ही लेख किया गया है कि अमृत नमक का सेम्पल उसके समक्ष नहीं निकाला गया है, व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देवें।
04	नमक/2014– 15/34 दिनांक 26.03. 2015, जिला प्रबंधक का पत्र क्र.–2339 दि. 25.03.15	अमृत नमक के परीक्षण रिपोर्ट पर कारण बताओ सूचना पत्र। (रायपुर रेक पाइंट संबंधी)	दिनांक 27.03.2015	
05	नमक/2014– 15/31 दिनांक 26.03. 2015	अमृत नमक गुणवत्ता के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र। 2013–14 एवं 2014–15 संबंधी	दिनांक 27.03.2015	साल्ट कमिश्नर से प्रमाणित होना उल्लेखित किया, प्रकरण पुराने वर्षों का है। व्यक्तिगत सुनवाई मांगा गया है।
06	नमक/2014– 15/28 दिनांक 26.03. 2015	अमृत नमक प्रदाय आदेश गुणवत्ता रेक से प्राप्त नमक में बनाये रखने।		माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 560/2015 प्रकरण भुगतान होने संबंधी दायर किया गया जिसकी प्रबंध संचालक के समक्ष सुनवाई हेतु आदेश जारी हुआ।
07	नमक/2015 /14 दिनांक 18.03.2015	अमृत नमक प्रदाय आदेश गुणवत्ता रेक से प्राप्त नमक में बनाये रखने।		माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 560/2015 प्रकरण भुगतान होने संबंधी दायर किया गया जिसकी प्रबंध संचालक के समक्ष सुनवाई हेतु आदेश जारी हुआ।

(6) अमानक स्तर का नमक सप्लाई करने के कारण इनका भुगतान नहीं किया गया जिस पर इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक–560/2015 दर्ज किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस पर दिनांक 01.04.2015 को आदेश पारित किया गया।

(7) माननीय न्यायालय के आदेश के पालन में दिनांक 05.05.2015 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया। सुनवाई के दौरान इनके विधिक प्रतिनिधि श्री शुक्ला तथा अधिवक्ता श्री ए.के. सेन, रायपुर उपस्थित हुए। इनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर तर्क दिया गया कि साल्ट कमिश्नर, भारत सरकार द्वारा प्रदाय की गई नमक को प्रमाणीकृत किया गया है तथा निगम के अधिकृत प्रतिनिधि के पर्यवेक्षण उपरांत नमक आपूर्ति की गई है।

..........03..........

इनके द्वारा प्रस्तुत जवाब, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिये गये तर्क को विचारण में लिया गया। निविदा की शर्तों का भी अध्ययन किया गया जिससे निम्नलिखित तथ्य प्रमाणित होते हैं –

अ. प्रदायकर्ता द्वारा प्रदाय की गई नमक में आयोडीन गुणवत्ता की जांच हेतु दिनांक 18.02.2015 से लगभग 250 सेम्पल विभिन्न जिलों से आईडीडी लैब, स्वास्थ्य विभाग, छ0ग0 शासन को परीक्षण हेतु भेजा गया जिसमें से 108 सेम्पल अमानक स्तर का पाया गया।

ब. प्रदायकर्ता द्वारा प्रदाय किये गये नमक के बोरी में एक ही बैच नं. के नमक के पैकिंग में कोई पैकेट मानक, कोई पैकेट अमानक पाया गया।

स. निविदा के नियम एवं शर्तों के अनुसार अमृत नमक का पालीथीन 50 माइक्रान का होना चाहिए। जिले एवं मुख्यालय स्तर पर जांच में निर्धारित माइक्रान से भी कम के पैकेट पाये गये।

उपरोक्त तथ्यों से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट प्रमाणित होते हैं –

01. प्रदायकर्ता द्वारा प्रदाय किये गये नमक की पैकिंग में एक ही बैच नं. के पैकेट में किसी में नमक मानक स्तर का है, किसी में अमानक स्तर का है। जिला प्रबंधकों से प्राप्त जानकारी के आधार पर भी प्रत्येक पैकेट की गुणवत्ता परीक्षण किया जाना संभव नहीं है किंतु काफी बड़ी मात्रा में अमानक नमक परीक्षण में पाया गया है जिनमें नमक 15 पीपीएम से अधिक पाया गया वे भी लगभग बार्डर पर थे यथा 16.9, 15.9, 18.0, 20.1 पीपीएम। अधिकांश में यही स्थिति है और इन्हीं बैचों के नमक अमानक पाये गयें यथा 11.6, 13.8, 7.4, 12.7, 10.6 पीपीएम इत्यादि।

02. निविदा दस्तावेज के परिशिष्ट– 3 की कंडिका–2 में 6 माह की समयावधि समाप्ति पर आयोडीन मात्रा 15 पीपीएम से कम नहीं होना चाहिए। इसी तरह नमक के स्पेसीफिकेशन में भी वितरण चैनल में भी 15 पीपीएम से कम नमक नहीं होने का प्रावधान है। नमक की आपूर्ति फरवरी 2015 में हुई है और 6 माह के पूर्व ही काफी बड़ी मात्रा में नमक निर्धारित मानक से निम्न स्तर का पाया गया है और जो निर्धारित मानक के स्तर पर हैं वह भी सीमा रेखा पर है और इस नमक की वितरण में समय भी है और 6 माह की अवधि में काफी कम समय भी है।

03. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में नमक आवश्यकतानुसार समय–समय पर वितरण किया गया। वितरण पूर्व प्रत्येक पैकेट का परीक्षण संभव नहीं था। मात्र वितरण के आधार पर नमक मानक नहीं माना जा सकता। पर्याप्त परीक्षण के बाद आपूर्ति किये गये नमक को अमानक मानने का पर्याप्त आधार है। निविदाकर्ता को उनके समक्ष सेम्पल लेने और परीक्षण कराने का विकल्प भी दिया गया। उनके द्वारा 3 दिवस का समय मांगा गया और उसके पश्चात कोई पहल नहीं की गई। इस तरह स्पष्ट है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया गया।

04. निविदा के नियम एवं शर्तों के अनुसार नमक की गुणवत्ता सुनिश्चित करना प्रदायकर्ता का दायित्व था। उनके द्वारा प्रस्तुत कारण आधारहीन होने से मान्य नहीं है।

निविदा दस्तावेज की कंडिका 16–अ के अंतर्गत अमानक स्तर के नमक को अस्वीकर कर राजसात करने का प्रावधान है। प्रदाय किये गये नमक 9243.817 मे0टन में से विभिन्न जिलों के प्रदाय केन्द्रों पर संग्रहित नमक 2893.286 मे0टन को राजसात किया जाता है तथा प्रदाय किये गये नमक की लंबित शेष राशि का भुगतान अमान्य किया जाता है।

..........04..........

उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर निविदा दस्तावेज की परिशिष्ट–3 की कंडिका 8 एवं 9 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए लंबित समस्त भुगतान अस्वीकृत करने के साथ–साथ अनुबंध एकपक्षीय रूप से समाप्त करते हुए जमानत राशि रूपए 1.70 करोड़ राजसात करने का आदेश पारित किया जाता है तथा निविदा दस्तावेज की परिशिष्ट–2 की कंडिका–18 के अनुसार इनका नाम काली सूची में दर्ज किया जाता है।

(ब्रजेश चंद्र मिश्र)
प्रबंध संचालक
रायपुर, दिनांक 01/06/2015

क्रमांक/नमक/2014–15/98
प्रतिलिपि :

01. विशेष सचिव, छ0ग0 शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
02. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
03. महाप्रबंधक/वरिष्ठ लेखाधिकारी, छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय–रायपुर।
04. मेसर्स रमेश साल्ट ट्रेडर्स, हलवद, सुरेन्द्र नगर, गुजरात की ओर सूचनार्थ।

प्रबंध संचालक